

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 168851 पटना, दिनांक 21-11-2013  
गा0वि0-8 (थ)/ लोकपाल- 09/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,  
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार ।

विषय:- मनरेगा योजनान्तर्गत लोकपाल के संबंधित संशोधित मार्गदर्शिका निर्गत करने के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 161125 दिनांक 27.08.2013 ।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक- 161225 दिनांक- 27.08.2013 द्वारा लोकपाल संबंधित संशोधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया था मैं निम्न रूप से अंशिक संशोधन किया जाता है:-

1. भारत सरकार द्वारा मनरेगा लोकपालों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के संबंध में निर्गत संलग्न मार्गदर्शिका की कंडिका- 4.1 में स्पष्ट की गया है कि इन्हें प्रति कार्य दिवस 1000/- (एक हजार) रुपये तथा अधिकतम प्रतिमाह 20000/- (बीस हजार) रुपये भुगतान किया जायेगा । जिसमें यह शर्त भी है कि उनके द्वारा माह में किये गये कार्यों का Proper Documetation एवं औचित्य हो। किन्तु स्पष्ट दिशा निर्देश के बाद भी कतिपय जिले में बर्धित राशि के भुगतान के तिथि को लेकर संसय की स्थिति बनी हुई है ।

अतः उपर्युक्त प्रासंगिक मार्गदर्शिका के कंडिका (मानदेय) 1 में निहित प्रावधान को स्पष्ट करना है कि लोकपालों को प्रति शिटिंग 1000/- (एक हजार) रुपये तथा अधिकतम 20000/- (बीस हजार) रुपये प्रतिमाह उनके द्वारा किये गये कार्यों का द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा दिनांक- 24.05.2013 के भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश की तिथि से प्रभावी माना जायेगा ।


2. उक्त निर्गत पत्र के शेष कंडिका यथावत रहेगा ।

विश्वासभाजन

  
20/11/13  
(अमृत लाल मीणा)  
सचिव


जापांक 168851 पटना, दिनांक 21-11-2013

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव आयुक्त, मनरेगा एवं प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा- 08 एवं 09 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, एवं सभी लोकपाल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
21/11/13  
सचिव

जापांक 168851 पटना, दिनांक 21-11-13

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
सचिव